झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8 / ज० सं०(नि०)ल.सिं.राँची–04 / 2010ः–   / राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री उमेश चन्द्र यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता (सेवानिवृत) ने जबकि वे लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री उमेश चन्द्र यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 में विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री उमेश चन्द्र यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सेवानिवृत से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत) विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए सचिव (प्रा॰) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव में विभागीय मंत्री / मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा॰प्र॰से॰(से॰नि॰) विभागीय जाँच आयुक्त, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची / सचिव (प्रा॰) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची / श्री उमेश चन्द्र यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सेवानिवृत को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह० / –
(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–   / राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ–श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा॰प्र॰से॰(से॰नि॰) विभागीय जाँच आयुक्त / सचिव, (प्रा॰) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची / श्री उमेश चन्द्र यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सेवानिवृत को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करें। साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

कृ॰पृ॰उ॰

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नकः–यथावत्।

ह0/–
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1260 /राँची, दिनांकः 12-2-14

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव(प्रभारी प्रशाखा–3) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ उप सचिव(अभि०)–सह–नोडल पदाधिकारी, वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8/ज० सं०(नि०)ल०सिं०राँची–04/2010ः– /राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री नन्द किशोर झा, तत्कालीन कनीय अभियंता ने जबकि वे लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री नन्द किशोर झा, तत्कालीन कनीय अभियंता संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 में विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री नन्द किशोर झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सेवानिवृत से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री श्याम सुन्दर प्रसाद,भा०प्र०से० (सेवानिवृत) विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए सचिव, प्रावैधिकी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव में विभागीय मंत्री/ मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा०प्र०से०(से०नि०) विभागीय जाँच आयुक्त, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/ सचिव (प्रा०) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ श्री नन्द किशोर झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सेवानिवृत, पता–ग्राम+पोस्ट–दिग्घी, भाया लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ–श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा.प्र.से.(से.नि.) विभागीय जाँच आयुक्त/ सचिव, (प्रा०) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ श्री नन्द किशोर झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सेवानिवृत पता–ग्राम+पोस्ट–दिग्घी, भाया लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करें। साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

कृ०पृ०उ०

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नकः–यथावत्।

ह0/–
(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1241 /राँची, दिनांकः 11-2-14

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव(प्रभारी प्रशाखा–3) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ उप सचिव(अभि॰)–सह–नोडल पदाधिकारी, वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8 / ज० सं०(नि०)ग्रा०–11 / 13ः–ः– /राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री चन्द्रेश्वर राय, कार्यपालक अभियंता(निलम्बित) ने जबकि वे सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री चन्द्रेश्वर राय, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 में विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री चन्द्रेश्वर राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान मुख्य अभियंता(मोनिटरिंग) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए संयुक्त सचिव(प्रबंधन)जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव में विभागीय मंत्री / मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची /संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ श्री चन्द्रेश्वर राय, निलम्बित कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह० / –
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ–मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ श्री चन्द्रेश्वर राय, निलम्बित कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करें। साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

(कृ०पृ०उ०)

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नकः–यथावत्।

ह0/–
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1342 /राँची, दिनांकः 13-2-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव (अभियंत्रण)–सह–नोडल पदाधिकारी, वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/14

(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।